2018/00009

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) लूणकरनसर, जिला बीकानेर

सरकार बनाम श्री पतराम S/o हाकम चौधरी (?) जाति

किस्म मुकदमा – ~~राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 22~~
एल. आर. एक्ट 1956 की धारा 91

मुकदमा नम्बर 03/18 वर्ष 2018 फसल खरीफ

| आदेश दिनांक | कार्यवाही विवरण | आदेश की जांच |
|---|---|---|
| 22/1/18 | पटवारी हल्का [illegible] की रिपोर्ट पर पत्रावली मुरतीब की गई। मुताबिक रिपोर्ट अप्रार्थी ने ग्राम/चक [illegible] के खसरा नं./मुरब्बा 168 तादादी 0-10 बीघा राजकीय भूमि पर सम्वत 2074 में नाजायज कब्जा कर ~~काश्त कर~~ ली। अप्रार्थी को धारा ~~22~~/91 के तहत नोटिस जारी किया जावे ~~एवं भू अभिलेख निरीक्षक से फसल कूंत कर~~, हेतु लिखा जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 8/2/18 को पेश हो। | गै. मु. [illegible] 22/22-1-18 |
| 8/2/18 | पत्रावली पेश हुई। [illegible] | पतराम को तहसीलदार के फैसले 109 में कुल रु. 03/- मांग वसूल की जावे। TPA 7-4-18 |

Scanned by CamScanner

## न्यायालय नायब तहसीलदार (राजस्व)लूनकरनसर

प्रकरण संख्या: 03 / 2018 दिनांक: 8/2/18.

# निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ग्रामवी ने रिपोर्ट (पी–4) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2074 में गैर सायल ......... पतराम पुत्र ....ठाकर राम.................... जाति सुथार..... साकिन ..................खुद............ने ग्राम सहजरासर......... के खसरा नं0 168 ................... रकबा 0.10 ............ बीघा जोहड़ पायतन, गोचर, चारागाह राजकिय भूमि में काश्त / बाड़ा / कच्चा / पक्का मकान निमार्ण कर नाजायज अतिकमण किया है।

सम्बधित गैर सायल का रा.भू.रा.अधि. 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। संबधित गैरसायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि संतोषजनक नहीं होने के कारण से सम्बधित गैर सायल ..................पतराम.................... पुत्र श्री ठाकर राम............ जाति सुथार..... साकिन खुद.............. ग्राम सहजरासर......... खसरा नं0 ..168...... रकबा ..0.10 ... .... बीघा के अतिचार करने पर राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है तथा भू–राजस्व ..0.26 पैसे........ का 50 गुणा रूपये ....13/-........ शास्ति से दण्डित किया जाता हैं। तथा मौके से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली बाबत संबधित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा जुर्माना वसूली बावत हल्का पटवारी को तथा मांग कायमी बाबत ओ.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 8/2/18............. को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार(राजस्व)
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner